म-दनी चेनल
देखते रहिये

GUSL KA TARIQA (HINDI)

(ह-नफ़ी)

गुस्ल का त़रीक़ा

मर्द व औ़रत दोनों के लिये गुस्ल की 21 एह्तियातें	5	नापाकी की ह़ालत में क़ुरआने पाक पढ़ने या छूने के 10 मसाइल	15
गुस्ल फ़र्ज़ होने के 5 अस्बाब	7	बच्चा कब बालिग़ होता है ?	18
कब कब गुस्ल करना सुन्नत है	12	तयम्मुम का त़रीक़ा	21
तंग लिबास वाले की त़रफ़ नज़र करना कैसा ?	14	तयम्मुम के 25 म-दनी फूल	22

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार क़ादिरी रज़वी

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा ।

दुआ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़-ज़मत और बुज़ुर्गी वाले ।

(المُستطرَف ج ۱ ص ۴۰ دار الفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये ।

त़ालिबे ग़मे मदीना

व बक़ीअ़

व मग़्फ़िरत

13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ग़ुस्ल का त़रीक़ा (ह़-नफ़ी)

येह रिसाला (**ग़ुस्ल का त़रीक़ा**)

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने **उर्दू** ज़बान में तह़रीर फ़रमाया है।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक-त-बतुल मदीना** से शाएअ़ करवाया है। इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब या ई-मेइल) मुत़्लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)
मक-त-बतुल मदीना
सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात,
MO. : 9374031409
E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

गुस्ल का त़रीक़ा (ह़-नफ़ी)

येह रिसाला (**26** स-फ़ह़ात) मुकम्मल पढ़ लीजिये, क़वी इम्कान है कि कई ग़-लत़ियां आप के सामने आ जाएं।

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

सरकारे मदीना, सुल्त़ाने बा क़रीना, क़रारे क़ल्बो सीना, फ़ैज़ गन्जीना, साह़िबे मुअ़त्त़र पसीना صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का इर्शादे रह़मत बुन्याद है, ''मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक येह तुम्हारे लिये त़हारत है।'' (مُسْنَد اَبِی یَعْلٰی ج٥ ص٤٥٨ حدیث٦٣٨٣)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

अनोखी सज़ा

ह़ज़रते सय्यिदुना जुनैदे बग़दादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْهَادِى फ़रमाते हैं : इब्नुल कुरैबी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِى कहते हैं : एक बार मुझे एह़तिलाम हो गया। मैं ने इरादा किया इसी वक़्त गुस्ल कर लूं। चूंकि सख़्त सर्दी की रात थी नफ़्स ने सुस्ती की और मश्वरा दिया : ''अभी काफ़ी रात बाक़ी है इतनी जल्दी भी क्या है! सुब्ह़ इत़्मीनान से गुस्ल कर लेना।'' मैं ने फ़ौरन नफ़्स को **अनोखी सज़ा** देने के लिये क़सम खाई कि इसी वक़्त कपड़ों समेत नहाऊंगा और नहाने के बा'द कपड़े निचोड़ूंगा भी

नहीं और इन को अपने बदन ही पर ख़ुश्क करूंगा । चुनान्चे मैं ने ऐसा ही किया, वाक़ेई जो अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के काम में ढील करे ऐसे सरकश नफ़्स की येही सज़ा है । (کیمیائے سعادت ج۲ص۸۹۲)

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की उन पर रहमत हो और उन के सदक़े हमारी मग़्फ़िरत हो ।

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم

निहंगो[1] अज़्दहा मारा अगर्चे शेरे नर मारा
बड़े मूज़ी को मारा नफ़्से अम्मारा को गर मारा

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! हमारे अस्लाफ़े किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام अपने नफ़्स की चालों को नाकाम बनाने के लिये कैसी कैसी मशक़्क़तें झेलते थे । इस से वोह इस्लामी भाई दर्स हासिल करें जो रात को एह़तिलाम हो जाने की सूरत में आख़िरत की ख़ौफ़नाक शर्म को भुला कर महूज़ घर वालों से शरमा कर या ग़ुस्ल के मुआ़-मले में सुस्ती कर के, नमाज़े फ़ज्र की जमाअ़त ज़ाएअ़ बल्कि مَعَاذَاللهعَزَّوَجَلَّ नमाज़ तक क़ज़ा कर डालते हैं ! जब कभी ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो नमाज़ का वक़्त आ जाने पर फ़ौरन ग़ुस्ल कर लेना चाहिये । ह़दीसे पाक में आता है : फ़िरिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिस में तस्वीर और कुत्ता और जुनुब (या'नी जिस पर जिमाअ़ या एह़तिलाम या शह्वत के साथ मनी ख़ारिज होने की वजह से ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो गया) हो । (ابوداؤد ج۱ ص۱۰۹ حدیث ۲۲۷)

1 : मगरमछ

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : जो शख़्स मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वोह जन्नत का रास्ता भूल गया। (طبرانی)

गुस्ल का त़रीक़ा (ह़-नफ़ी)

बिग़ैर ज़बान हिलाए दिल में इस त़रह़ निय्यत कीजिये कि मैं पाकी ह़ासिल करने के लिये गुस्ल करता हूं। पहले दोनों[2] हाथ पहुंचों तक तीन[3] तीन[3] बार धोइये, फिर इस्तिन्जे की जगह धोइये ख़्वाह नजासत हो या न हो, फिर जिस्म पर अगर कहीं नजासत हो तो उस को दूर कीजिये फिर नमाज़ का सा वुज़ू कीजिये मगर पाउं न धोइये, हां अगर चौकी वग़ैरा पर गुस्ल कर रहे हैं तो पाउं भी धो लीजिये, फिर बदन पर तेल की त़रह़ पानी चुपड़ लीजिये, ख़ुसूसन सर्दियों में (इस दौरान साबून भी लगा सकते हैं) फिर तीन[3] बार सीधे कन्धे पर पानी बहाइये, फिर तीन[3] बार उल्टे कन्धे पर, फिर सर पर और तमाम बदन पर तीन[3] बार, फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाइये, अगर वुज़ू करने में पाउं नहीं धोए थे तो अब धो लीजिये। नहाने में क़िब्ला रुख़ न हों, तमाम बदन पर हाथ फैर कर मल कर नहाइये। ऐसी जगह नहाना चाहिये जहां किसी की नज़र न पड़े अगर येह मुम्किन न हो तो मर्द अपना सित्र (नाफ़ से ले कर दोनों[2] घुटनों समेत) किसी मोटे कपड़े से छुपा ले, मोटा कपड़ा न हो तो ह़स्बे ज़रूरत दो[2] या तीन[3] कपड़े लपेट ले क्यूं कि बारीक कपड़ा होगा तो पानी से बदन पर चिपक जाएगा और مَعَاذَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ घुटनों या रानों वग़ैरा की रंगत ज़ाहिर होगी। औ़रत को तो और भी ज़ियादा एह़तियात़ की ह़ाजत है। दौराने गुस्ल किसी क़िस्म की गुफ़्त-गू मत कीजिये, कोई दुआ़ भी न पढ़िये, नहाने के बा'द तोलिये वग़ैरा से बदन पूंछने में ह़रज नहीं। नहाने के बा'द फ़ौरन कपड़े पहन लीजिये। अगर मकरूह वक़्त न हो तो दो रक्अ़त नफ़्ल अदा करना **मुस्तह़ब** है। (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 319 वग़ैरा عالمگیری ج ۱ ص ۱٤)

ग़ुस्ल के तीन[3] फ़राइज़

﴾1﴿ कुल्ली करना ﴾2﴿ नाक में पानी चढ़ाना ﴾3﴿ तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना । (فتاوٰی عالمگیری ج ۱ ص ۱۳)

﴾1﴿ कुल्ली करना

मुंह में थोड़ा सा पानी ले कर पच कर के डाल देने का नाम **कुल्ली** नहीं बल्कि मुंह के हर पुर्ज़े, गोशे, होंट से ह़ल्क़ की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए । **इसी** त़रह़ दाढ़ों के पीछे गालों की तह में, दांतों की खिड़कियों और जड़ों और ज़बान की हर करवट पर बल्कि ह़ल्क़ के कनारे तक पानी बहे । रोज़ा न हो तो ग़र-ग़रा भी कर लीजिये कि सुन्नत है । दांतों में छालिया के दाने या बोटी के रेशे वग़ैरा हों तो उन को छुड़ाना ज़रूरी है । हां अगर छुड़ाने में ज़रर (या'नी नुक़्सान) का अन्देशा हो तो मुआ़फ़ है । ग़ुस्ल से क़ब्ल दांतों में रेशे वग़ैरा मह़सूस न हुए और रह गए नमाज़ भी पढ़ ली बा'द को मा'लूम होने पर छुड़ा कर पानी बहाना फ़र्ज़ है, पहले जो नमाज़ पढ़ी थी वोह हो गई । जो हिलता दांत मसाले से जमाया गया या तार से बांधा गया और तार या मसाले के नीचे पानी न पहुंचता हो तो मुआ़फ़ है । ((बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 316, फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 1, स. 439,440) जिस त़रह़ की एक कुल्ली ग़ुस्ल के लिये फ़र्ज़ है इसी त़रह़ की तीन[3] कुल्लियां वुज़ू के लिये सुन्नत हैं ।

﴾2﴿ नाक में पानी चढ़ाना

जल्दी जल्दी नाक की नोक पर पानी लगा लेने से काम नहीं

चलेगा बल्कि जहां तक नर्म जगह है या'नी सख़्त हड्डी के शुरूअ़ तक धुलना लाज़िमी है । और येह यूं हो सकेगा कि पानी को सूंघ कर ऊपर खींचिये । येह ख़याल रखिये कि बाल बराबर भी जगह धुलने से न रह जाए वरना ग़ुस्ल न होगा । नाक के अन्दर अगर रींठ सूख गई है तो उस का छुड़ाना फ़र्ज़ है, नीज़ नाक के बालों का धोना भी फ़र्ज़ है ।

(ऐज़न, ऐज़न,स. 442 ता 443)

﴾3﴿ तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना

सर के बालों से ले कर पाउं के तल्वों तक जिस्म के हर पुर्ज़े और हर हर रोंगटे पर पानी बह जाना ज़रूरी है, जिस्म की बा'ज़ जगहें ऐसी हैं कि अगर एह़तियात़ न की तो वोह सूखी रह जाएंगी और ग़ुस्ल न होगा । (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 319)

"صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰه" के इक्कीस ह़ुरूफ़ की निस्बत से मर्द व औ़रत दोनों के लिये ग़ुस्ल की 21 एह़तियातें

❁ अगर मर्द के सर के बाल गुंधे हुए हों तो उन्हें खोल कर जड़ से नोक तक पानी बहाना फ़र्ज़ है और ❁ औ़रत पर सिर्फ़ जड़ तर कर लेना ज़रूरी है खोलना ज़रूरी नहीं । हां अगर चोटी इतनी सख़्त गुंधी हुई हो कि बे खोले जड़ें तर न होंगी तो खोलना ज़रूरी है ❁ अगर कानों में बाली या नाक में नथ का छेद (सूराख़) हो और वोह बन्द न हो तो उस में पानी बहाना फ़र्ज़ है । वुज़ू में सिर्फ़ नाक के नथ के छेद में और ग़ुस्ल में अगर कान और नाक दोनों में छेद हों तो दोनों में पानी बहाएं ❁ भवों, मूंछों और दाढ़ी के हर बाल का जड़ से नोक तक और उन

के नीचे की खाल का धोना ज़रूरी है ❁ कान का हर पुर्ज़ा और उस के सूराख़ का मुंह धोएं ❁ कानों के पीछे के बाल हटा कर पानी बहाएं ❁ ठोड़ी और गले का जोड़ कि मुंह उठाए बिग़ैर न धुलेगा ❁ हाथों को अच्छी त़रह़ उठा कर बग़लें धोएं ❁ बाज़ू का हर पहलू धोएं ❁ पीठ का हर ज़र्रा धोएं ❁ पेट की बल्टें उठा कर धोएं ❁ नाफ़ में भी पानी डालें अगर पानी बहने में शक हो तो नाफ़ में उंगली डाल कर धोएं ❁ जिस्म का हर रोंगटा जड़ से नोक तक धोएं ❁ रान और पेड़ू (नाफ़ से नीचे के ह़िस्से) का जोड़ धोएं ❁ जब बैठ कर नहाएं तो रान और पिंडली के जोड़ पर भी पानी बहाना याद रखें ❁ दोनों सुरीन के मिलने की जगह का ख़याल रखें, ख़ुसूसन जब खड़े हो कर नहाएं ❁ रानों की गोलाई और ❁ पिंडलियों की करवटों पर पानी बहाएं ❁ ज़कर व उन्स-ययैन (या'नी फ़ोत़ों) की निचली सत़ह़ जोड़ तक और ❁ उन्स-ययैन के नीचे की जगह जड़ तक धोएं ❁ जिस का ख़तना न हुवा, वोह अगर खाल चढ़ सकती हो तो चढ़ा कर धोए और खाल के अन्दर पानी चढ़ाए ।

(मुलख़्ख़स अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 317-318)

मस्तूरात के लिये 6 एह़तियातें

﴾1﴿ ढल्की हुई पिस्तान को उठा कर पानी बहाएं ﴾2﴿ पिस्तान और पेट के जोड़ की लकीर धोएं ﴾3﴿ फ़र्जे ख़ारिज (या'नी औ़रत की शर्मगाह के बाहर के ह़िस्से) का हर गोशा हर टुक्ड़ा ऊपर नीचे ख़ूब एह़तियात़ से धोएं ﴾4﴿ फ़र्जे दाख़िल (या'नी शर्मगाह के अन्दरूनी

ह़िस्से) में उंगली डाल कर धोना फ़र्ज़ नहीं **मुस्तह़ब** है ﴿5﴾ अगर ह़ैज़ या निफ़ास से फ़ारिग़ हो कर ग़ुस्ल करें तो किसी पुराने कपड़े से फ़र्जे दाख़िल के अन्दर से ख़ून का असर साफ़ कर लेना **मुस्तह़ब** है (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 318) ﴿6﴾ अगर नेल पॉलिश **नाख़ुनों** पर लगी हुई है तो उस का भी छुड़ाना फ़र्ज़ है वरना ग़ुस्ल नहीं होगा, हां मेहंदी के रंग में ह़रज नहीं।

ज़ख़्म की पट्टी

ज़ख़्म पर पट्टी वग़ैरा बंधी हो और उसे खोलने में नुक़्सान या ह़रज हो तो पट्टी पर ही मस्ह़ कर लेना काफ़ी है नीज़ किसी जगह मरज़ या दर्द की वजह से पानी बहाना नुक़्सान देह हो तो उस पूरे उ़ज़्व पर मस्ह़ कर लीजिये। पट्टी ज़रूरत से ज़ियादा जगह को घेरे हुए नहीं होनी चाहिये वरना मस्ह़ काफ़ी न होगा। अगर ज़रूरत से ज़ियादा जगह घेरे बिग़ैर पट्टी बांधना मुम्किन न हो म-सलन बाज़ू पर ज़ख़्म है मगर पट्टी बाज़ूओं की गोलाई में बांधी है जिस के सबब बाज़ू का अच्छा ह़िस्सा भी पट्टी के अन्दर छुपा हुवा है, तो अगर खोलना मुम्किन हो तो खोल कर उस ह़िस्से को धोना फ़र्ज़ है। अगर ना मुम्किन है या खोलना तो मुम्किन है मगर फिर वैसी न बांध सकेगा और यूं ज़ख़्म वग़ैरा को नुक़्सान पहुंचने का अन्देशा है तो सारी पट्टी पर मस्ह़ कर लेना काफ़ी है, बदन का वोह अच्छा ह़िस्सा भी धोने से मुआ़फ़ हो जाएगा। (ऐज़न, स. 318)

ग़ुस्ल फ़र्ज़ होने के 5 अस्बाब

﴿1﴾ मनी का अपनी जगह से शह्वत के साथ जुदा हो कर उ़ज़्व से निकलना ﴿2﴾ एह़तिलाम या'नी सोते में मनी का निकल जाना ﴿3﴾ शर्मगाह में ह़श्फ़ा (सुपारी) दाख़िल हो जाना ख़्वाह शह्वत हो या

न हो, इन्ज़ाल हो या न हो, दोनों पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ है ﴿**4**﴾ ह़ैज़ से फ़ारिग़ होना ﴿**5**﴾ निफ़ास (या'नी बच्चा जनने पर जो ख़ून आता है उस) से फ़ारिग़ होना । (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 321 ता 324)

निफ़ास की ज़रूरी वज़ाहत

अक्सर औ़रतों में येह मश्हूर है कि बच्चा जनने के बा'द औ़रत चालीस[40] दिन तक लाज़िमी त़ौर पर नापाक रहती है येह बात बिल्कुल ग़लत़ है । निफ़ास की तफ्सील मुला-हजा हो । बच्चा पैदा होने के बा'द जो ख़ून आता है उस को निफ़ास कहते हैं उस की ज़ियादा से ज़ियादा मुद्दत चालीस[40] दिन है या'नी अगर चालीस[40] दिन के बा'द भी बन्द न हो तो मरज़ है । लिहाज़ा चालीस[40] दिन पूरे होते ही ग़ुस्ल कर ले और चालीस[40] दिन से पहले बन्द हो जाए ख़्वाह बच्चे की विलादत के बा'द एक मिनट ही में बन्द हो जाए तो जिस वक़्त भी बन्द हो ग़ुस्ल कर ले और नमाज़ व रोज़ा शुरूअ़ हो गए । अगर चालीस[40] दिन के अन्दर अन्दर दोबारा ख़ून आ गया तो शुरूए़ विलादत से **ख़त्मे** ख़ून तक सब दिन निफ़ास ही के शुमार होंगे । म-सलन विलादत के बा'द दो मिनट तक ख़ून आ कर बन्द हो गया और औ़रत ग़ुस्ल कर के नमाज़ रोजा वग़ैरा करती रही, चालीस[40] दिन पूरे होने में फ़क़त दो[2] मिनट बाक़ी थे कि फिर ख़ून आ गया तो सारा चिल्ला या'नी मुकम्मल चालीस[40] दिन निफ़ास के ठहरेंगे । जो भी नमाज़ें पढ़ीं या रोज़े रख्खे सब बेकार गए, यहां तक कि अगर इस दौरान फ़र्ज़ व वाजिब नमाज़ें या रोज़े क़ज़ा किये थे तो वोह भी फिर से अदा करे । (माख़ूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 4, स. 354 ता 356)

5 ज़रूरी अहकाम

﴾1﴿मनी शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा न हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलन्दी से गिरने या फ़ुज़्ला ख़ारिज करने के लिये ज़ोर लगाने की सूरत में ख़ारिज हुई तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं। वुज़ू बहर हाल टूट जाएगा ﴾2﴿अगर मनी पतली पड़ गई और पेशाब के वक़्त या वैसे ही बिला शहवत इस के क़तरे निकल आए ग़ुस्ल फ़र्ज़ न हुवा वुज़ू टूट जाएगा ﴾3﴿अगर एहतिलाम होना याद है मगर इस का कोई असर कपड़े वग़ैरा पर नहीं तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं ﴾4﴿ नमाज़ में शहवत थी और मनी उतरती हुई मा'लूम हुई मगर बाहर निकलने से क़ब्ल ही नमाज़ पूरी कर ली अब ख़ारिज हुई तो नमाज़ हो गई मगर अब ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो गया (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 321 ता 322) ﴾5﴿अपने हाथों से माद्दा ख़ारिज करने से ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। येह गुनाह का काम है। ह़दीसे पाक में ऐसा करने वाले को मल्ऊ़न कहा गया है । (اَمالی ابن بشران ج۲ص۵ رقم ۴۷۷ ،حاشِيَةُ الطَّحطاوی علی مَراقی الفَلاح ۹۶) ऐसा करने से मर्दाना कमज़ोरी पैदा होती है और बारहा देखा गया है कि बिल आख़िर आदमी शादी के लाइक़ नहीं रहता।

मुश्त ज़नी का अ़ज़ाब

मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की ख़िदमत में अ़र्ज़ किया गया : एक शख़्स **मज्लूक़** (या'नी मुश्त ज़नी करने वाला) है वोह इस फ़े'ल से नहीं मानता है, हर चन्द इस को समझाया है, आप तह़रीर फ़रमाएं, उस का क्या

ह़श्र होगा और उस को क्या दुआ़ पढ़ना चाहिये जिस से उस की आ़दत छूट जाए ?

इर्शादे आ'ला ह़ज़रत : वोह गुनहगार है[1], आ़सी है, इस्रार के सबब मुर्तकिबे कबीरा है, फ़ासिक़ है, ह़श्र में ऐसों की (या'नी मुश्त ज़नी करने वालों की) हथेलियां गाभन (या'नी ह़ामिला) उठेंगी जिस से मज्मए़ आ'ज़म में उन की रुस्वाई होगी अगर तौबा न करें, और अल्लाह عَزَّوَجَلَّ मुआ़फ़ फ़रमाता है जिसे चाहे और अ़ज़ाब फ़रमाता है जिसे चाहे। उसे चाहिये कि लाह़ौल शरीफ़ की कसरत करे और जब शैत़ान इस ह़-र-कत की त़रफ़ बुलाए तो फ़ौरन दिल से **मु-तवज्जेह** ब ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ हो कर लाह़ौल पढ़े । नमाज़े पन्जगाना की पाबन्दी करे। नमाज़े सुब्ह़ के बा'द बिला नाग़ा सूर-तुल इख़्लास शरीफ़ का विर्द रखे । وَاللّٰہ تَعَالٰی اَعلم

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 22, स. 244)

(श-ज-रए अ़त्त़ारिय्या सफ़ह़ा 16 पर है : हर सुब्ह़ सूर-तुल इख़्लास ग्यारह बार पढ़े अगर शैत़ान मअ़ लश्कर के कोशिश करे कि इस से गुनाह कराए न करा सके जब तक कि येह ख़ुद न करे)

बहते पानी में ग़ुस्ल का त़रीक़ा

अगर बहते पानी म-सलन दरिया, या नह्र में नहाया तो थोड़ी देर उस में रुकने से तीन बार धोने, तरतीब और वुज़ू येह सब सुन्नतें अदा हो गईं । इस की भी ज़रूरत नहीं कि आ'ज़ा को तीन[3] बार ह़-र-कत

जलक के होशरुबा नुक़्सानात की तफ़्सीली मा'लूमात के लिये सगे मदीना عَفِیَ عَنْہُ का रिसाला ''अमरद पसन्दी की तबाहकारियां'' पढ़ लीजिये ।

दे। अगर तालाब वग़ैरा ठहरे पानी में नहाया तो आ'ज़ा को तीन बार ह़-र-कत देने या जगह बदलने से **तस्लीस** या'नी तीन³ बार धोने की सुन्नत अदा हो जाएगी। बरसात में (या नल या फ़व्वारे के नीचे) खड़ा होना बहते पानी में खड़े होने के हुक्म में है। बहते पानी में वुज़ू किया तो वोही थोड़ी देर उस में उ़ज़्व को रहने देना और ठहरे पानी में ह़-र-कत देना तीन³ बार धोने के क़ाइम मक़ाम है। (बहारे शरीअ़त जि. 1, स. 320) वुज़ू और गुस्ल की इन तमाम सूरतों में कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना होगा।

फ़व्वारा जारी पानी के हुक्म में है

फ़तावा अहले सुन्नत (ग़ैर मत़्बूआ़) में है : फ़व्वारे (या नल) के नीचे गुस्ल करना जारी पानी में गुस्ल करने के हुक्म में है लिहाज़ा इस के नीचे गुस्ल करते हुए वुज़ू और गुस्ल करते वक़्त की मुद्दत तक ठहरा तो **तस्लीस** की सुन्नत अदा हो जाएगी। चुनान्चे **दुर्रे मुख़्तार** में है : "अगर जारी पानी या बड़े हौज़ या बारिश में वुज़ू और गुस्ल करने के वक़्त की मुद्दत तक ठहरा तो उस ने पूरी सुन्नत अदा की।" (دُرِّمُختار ج۱ص۳۲۰) याद रहे ! गुस्ल या वुज़ू में कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना है।

फ़व्वारे की एह़तियातें

अगर आप के ह़म्माम में फ़व्वारा (SHOWER) हो तो उसे अच्छी त़रह़ देख लीजिये कि उस की त़रफ़ मुंह कर के नंगे नहाने में मुंह या पीठ क़िब्ले शरीफ़ की त़रफ़ तो नहीं हो रही। इस्तिन्जा ख़ाने में भी इसी त़रह़ एह़तियात़ फ़रमाइये। क़िब्ला की त़रफ़ मुंह या पीठ होने का मा'ना येह है कि 45 द-रजे के ज़ाविये के अन्दर अन्दर हो। लिहाज़ा

येह एह़तियात़ भी ज़रूरी है कि 45 डिग्री के ज़ाविये (एंगल ANGLE) के बाहर हो । इस मस्अले से अक्सर लोग ना वाक़िफ़ हैं ।

W.C. का रुख़ दुरुस्त कीजिये

मेहरबानी फ़रमा कर अपने घर वग़ैरा के डब्लयू.सी (W.C.) और फ़व्वारे का रुख़ अगर ग़लत़ हो तो उस की इस्लाह़ फ़रमा लीजिये । **ज़ियादा** एह़तियात़ इस में है कि W.C. क़िब्ला से 90 के द-रजे पर या'नी नमाज़ पढ़ने में सलाम फैरने के रुख़ कर दीजिये । मि'मार उ़मूमन ता'मीराती सहूलत और ख़ूब सूरती का लिहाज़ करते हैं आदाबे क़िब्ला की परवाह नहीं करते । मुसल्मानों को मकान की ग़ैर वाजिबी बेहतरी के बजाए आख़िरत की ह़क़ीक़ी बेहतरी पर नज़र रखनी चाहिये ।

कुछ नेकियां कमा ले जल्द आख़िरत बना ले
भाई नहीं भरोसा है कोई ज़िन्दगी का

कब कब ग़ुस्ल करना सुन्नत है

जुमुआ़, ईदुल फ़ित्र, बक़र ईद, अ़-रफ़े के दिन (या'नी 9 ज़ुल ह़िज्जतिल ह़राम) और एह़राम बांधते वक़्त नहाना सुन्नत है ।

(فتاوٰی عالمگیری ج ۱ ص ۱٦)

कब कब ग़ुस्ल करना मुस्तह़ब है

《1》 वुक़ूफ़े अ़-रफ़ात 《2》 वुक़ूफ़े मुज़्दलिफ़ा 《3》 ह़ाज़िरिये

ह़रम ﴾4﴿ ह़ाज़िरिये सरकारे आ'ज़म صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ﴾5﴿ त़वाफ़ ﴾6﴿ दुख़ूले मिना ﴾7﴿ जम्रों पर कंकरियां मारने के लिये तीनों[3] दिन ﴾8﴿ शबे बराअत ﴾9﴿ शबे क़द्र ﴾10﴿ अ़-रफ़े की रात ﴾11﴿ मजलिसे मीलाद शरीफ़ ﴾12﴿ दीगर मजालिसे ख़ैर के लिये ﴾13﴿ मुर्दा नहलाने के बा'द ﴾14﴿ मजनून (या'नी पागल) को जुनून (पागलपन) जाने के बा'द ﴾15﴿ ग़शी से इफ़ाक़े के बा'द ﴾16﴿ नशा जाते रहने के बा'द ﴾17﴿ गुनाह से तौबा करने ﴾18﴿ नए कपड़े पहनने के लिये ﴾19﴿ सफ़र से आने वाले के लिये ﴾20﴿ इस्तिह़ाज़ा का ख़ून बन्द होने के बा'द ﴾21﴿ नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ ﴾22﴿ नमाज़े इस्तिस्क़ा के लिये ﴾23﴿ ख़ौफ़ व तारीकी और सख़्त आंधी के लिये ﴾24﴿ बदन पर नजासत लगी और येह मा'लूम न हुवा कि किस जगह लगी है।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 324 ता 325, دُرِّمُختار و رَدُّالمُحتار ج۱ ص۳٤۱-۳٤۳)

एक गुस्ल में मुख़्तलिफ़ निय्यतें

जिस पर चन्द गुस्ल हों सब की निय्यत से एक गुस्ल कर लिया, सब अदा हो गए सब का सवाब मिलेगा। जुनुब ने जुमुआ़ या ई़द के दिन गुस्ले जनाबत किया और जुमुआ़ और ई़द वग़ैरा की निय्यत भी कर ली सब अदा हो गए, अगर उसी गुस्ल से जुमुआ़ और ई़द की नमाज़ अदा कर ले। (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त जि. 1, स. 325)

बारिश में गुस्ल

लोगों के सामने सित्र खोल कर नहाना ह़राम है। (फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 3, स. 306) बारिश वग़ैरा में भी नहाएं तो पाजामा

या शलवार के ऊपर मज़ीद रंगीन मोटी चादर लपेट लीजिये ताकि पाजामा पानी से चिपक भी जाए तो रानों वग़ैरा की रंगत ज़ाहिर न हो ।

तंग लिबास वाले की त़रफ़ नज़र करना कैसा ?

लिबास तंग हो या ज़ोर से हवा चली या बारिश या साहिले समुन्दर या नहर वग़ैरा में अगर्चे मोटे कपड़े में नहाए और कपड़ा इस त़रह़ चिपक जाए कि सित्र के किसी कामिल उ़ज़्व म–सलन रान की मुकम्मल गोलाई की हैअत (उभार) ज़ाहिर हो जाए ऐसी सूरत में उस (मख़्सूस) उ़ज़्व की त़रफ़ दूसरे को नज़र करने की इजाज़त नहीं । येही हुक्म तंग लिबास वाले के सित्र के उभरे हुए उ़ज़्वे कामिल की त़रफ़ नज़र करने का है ।

नंगे नहाते वक़्त ख़ूब एह़तियात़

ह़म्माम में तन्हा नंगे नहाएं या ऐसा पाजामा पहन कर नहाएं कि उस के चिपक जाने से रानों वग़ैरा की रंगत ज़ाहिर हो सकती है तो ऐसी सूरत में क़िब्ले की त़रफ़ मुंह या पीठ मत कीजिये ।

ग़ुस्ल से नज़ला बढ जाता हो तो ?

ज़ुकाम या आशोबे चश्म वग़ैरा हो और येह गुमाने सह़ीह़ हो कि सर से नहाने में मरज़ बढ़ जाएगा या दीगर अमराज़ पैदा हो जाएंगे तो कुल्ली कीजिये, नाक में पानी चढ़ाइये और गरदन से नहाइये । और सर के हर ह़िस्से पर भीगा हुवा हाथ फैर लीजिये ग़ुस्ल हो जाएगा ।

बा'दे सिह़्ह़त सर धो डालिये पूरा गुस्ल नए सिरे से करना ज़रूरी नहीं।

(माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त जि. 1, स. 318)

बाल्टी से नहाते वक़्त एह़तियात़

अगर बाल्टी के ज़रीए़ गुस्ल करें तो एह़तियात़न उसे तिपाई (STOOL) वग़ैरा पर रख लीजिये ताकि बाल्टी में छींटें न आएं। नीज़ गुस्ल में इस्ति'माल करने का मग भी फ़र्श पर न रखिये।

बाल की गिरेह

बाल में गिरेह पर जाए तो गुस्ल में उसे खोल कर पानी बहाना ज़रूरी नहीं। (ऐज़न)

"क़ुरआन मुक़द्दस है" के दस[10] हुरूफ़ की निस्बत से नापाकी की ह़ालत में क़ुरआने पाक पढ़ने या छूने के 10 मसाइल

﴾1﴿ **जिस** पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उस को मस्जिद में जाना, त़वाफ़ करना, क़ुरआने पाक छूना, बे छूए ज़बानी पढ़ना, किसी आयत का लिखना, आयत का ता'वीज़ लिखना (लिखना उस सूरत में ह़राम है **जिस में काग़ज़ का छूना पाया जाए, अगर काग़ज़ को न छूए तो लिखना जाइज़ है**) (ग़ैर मत़्बूआ़, फ़तावा अहले सुन्नत) ऐसा ता'वीज़ छूना, ऐसी अंगूठी छूना या पहनना जिस पर आयत या हुरूफ़े मुक़त्त़आ़त लिखे हों ह़राम है। (बहारे शरीअ़त जि. 1, स. 326) (मोम जामे वाले या प्लास्टिक में लपेट कर कपड़े या चमड़े वग़ैरा में सिले हुए ता'वीज़ को पहनने या छूने में मुज़ा-यक़ा नहीं।)

﴾2﴿ **अगर** क़ुरआने पाक जुज़्दान में हो तो बे वुज़ू या बे गुस्ल जुज़्दान पर हाथ लगाने में ह़रज नहीं। (बहारे शरीअ़त जि. 1, स. 326)

﴿3﴾ **इसी** त़रह़ किसी ऐसे कपड़े या रुमाल वग़ैरा से क़ुरआने पाक पकड़ना जाइज़ है जो न अपने ताबेअ़ हो न क़ुरआने पाक के। (ऐज़न)

﴿4﴾ **कुर्ते** की आस्तीन, दुपट्टे के आंचल से यहां तक कि चादर का एक कोना इस के कन्धे पर है तो चादर के दूसरे कोने से क़ुरआने पाक को छूना ह़राम है कि येह सब चीज़ें इस छूने वाले के ताबेअ़ हैं। (ऐज़न)

﴿5﴾ **क़ुरआने** पाक की आयत दुआ़ की निय्यत से या तबर्रुक के लिये म-सलन بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ या अदाए शुक्र के लिये اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ या किसी मुसल्मान की मौत या किसी क़िस्म के नुक़्सान की ख़बर पर اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ या सना की निय्यत से पूरी सू-रतुल फ़ातिह़ा या आ-यतुल कुरसी या सू-रतुल ह़श्र की आख़िरी तीन आयात पढ़ीं और इन सब सूरतों में क़ुरआन पढ़ने की निय्यत न हो तो कोई ह़रज नहीं। (ऐज़न)

﴿6﴾ **तीनों** क़ुल बिला लफ़्ज़े क़ुल ब निय्यते सना पढ़ सकते हैं। लफ़्ज़े क़ुल के साथ सना की निय्यत से भी नहीं पढ़ सकते क्यूं कि इस सूरत में इन का क़ुरआन होना मु-तअ़य्यन है, निय्यत को कुछ दख़्ल नहीं। (ऐज़न)

﴿7﴾ **बे वुज़ू** को क़ुरआन शरीफ़ या किसी आयत का छूना ह़राम है। बिग़ैर छूए ज़बानी या देख कर पढ़ने में मुज़ा-यक़ा नहीं।

(बहारे शरीअ़त जि. 1, स. 326)

﴿8﴾ **जिस** बरतन या कटोरे पर सूरत या आयते क़ुरआनी लिखी हो बे वुज़ू

और बे गुस्ल को इस का छूना ह़राम है । (ऐज़न, स. 327)

﴿9﴾ **इस** का इस्ति'माल सब के लिये मक्रूह है । हां ख़ास ब निय्यते शिफ़ा इस में पानी वग़ैरा डाल कर पीने में ह़रज नहीं ।

﴿10﴾ **क़ुरआने** पाक का तरजमा फ़ारसी या उर्दू या किसी दूसरी ज़बान में हो उस को भी पढ़ने या छूने में क़ुरआने पाक ही का सा हुक्म है । (ऐज़न)

बे वुज़ू दीनी किताबें छूना

बे वुज़ू या वोह जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उन को फ़िक़्ह, तफ़्सीर व ह़दीस की किताबों का छूना मक्रूह है । और अगर इन को किसी कपड़े से छूआ अगर्चे इस को पहने या ओढ़े हुए हो तो मुज़ा-यक़ा नहीं । मगर आयते क़ुरआनी या इस के तरजमे पर इन किताबों में भी हाथ रखना ह़राम है । (ऐज़न)

बे वुज़ू इस्लामी किताबें पढ़ने वाले बल्कि अख़्बारात व रसाइल छूने वाले भी एह़तियात़ फ़रमाया करें कि उ़मूमन इन में आयात व तरजमे शामिल होते हैं ।

नापाकी की ह़ालत में दुरूद शरीफ़ पढ़ना

जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उन को दुरूद शरीफ़ और दुआ़एं पढ़ने में ह़रज नहीं । मगर बेहतर येह है कि वुज़ू या कुल्ली कर के पढ़ें । (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 327) **अज़ान** का जवाब देना उन को जाइज़ है ।

(عالمگیری ج ۱ ص ۳۸)

उंगली में सियाही (INK) की तह जमी हुई हो तो ?

पकाने वाले के नाख़ुन में आटा, लिखने वाले के नाख़ुन वग़ैरा

पर सियाही (INK) का जिर्म, आ़म लोगों के लिये मक्खी, मच्छर की बीट लगी हुई रह गई और तवज्जोह न रही तो ग़ुस्ल हो जाएगा । हां मा'लूम हो जाने के बा'द जुदा करना और उस जगह का धोना ज़रूरी है पहले जो नमाज़ पढ़ी वोह हो गई । (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 319)

बच्चा कब बालिग़ होता है ?

लड़का बारह[12] साल और लड़की नव[9] बरस से कम उ़म्र तक हरगिज़ **बालिग़ व बालिग़ा** न होंगे और लड़का लड़की दोनों (हिजरी सिन के ए'तिबार से) 15 बरस की कामिल उ़म्र में ज़रूर शरअ़न बालिग़ व बालिग़ा हैं, अगर्चे **आसारे बुलूग़** (या'नी बालिग़ होने की अ़लामतें) ज़ाहिर न हों । इन उ़म्रों के अन्दर अगर आसार पाए जाएं, या'नी ख़्वाह लड़के ख़्वाह लड़की को सोते ख़्वाह जागते में **इन्ज़ाल** हो (या'नी मनी निकले)... या... लड़की को ह़ैज़ आए... या... जिमाअ़ से लड़का (किसी लड़की को) **ह़ामिला** कर दे... या... (जिमाअ़ की वजह से) लड़की को **ह़म्ल** रह जाए तो यक़ीनन बालिग़ व बालिग़ा हैं । और अगर **आसार** न हों, मगर वोह ख़ुद कहें कि हम बालिग़ व बालिग़ा हैं और ज़ाहिर ह़ाल उन के क़ौल की तक्ज़ीब न करता (या'नी झुटलाता न) हो तो भी बालिग़ व बालिग़ा समझे जाएंगे और तमाम अह़काम बुलूग़ के निफ़ाज़ पाएंगे और (लड़के के) दाढ़ी मूंछ निकलना या लड़की के पिस्तान (या'नी छाती) में उभार पैदा होना कुछ **मो'तबर** नहीं । (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 19, स. 630)

किताबें रखने की तरतीब

﴾1﴿ **क़ुरआने** पाक सब किताबों के ऊपर रखिये फिर तफ़्सीर फिर ह़दीस फिर फ़िक़्ह फिर दीगर इस्लामी किताबें । (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 327)

﴿2﴾ **किताब** पर कोई दूसरी चीज़ यहां तक कि क़लम भी मत रखिये बल्कि जिस सन्दूक़ में किताब हो उस पर भी कोई चीज़ न रखिये ।

(ऐज़न, स. 328)

अवराक़ में पुड़िया बांधना

﴿1﴾ **मसाइल** या दीनियात के अवराक़ में पुड़िया बांधना, जिस दस्तर ख़्वान या बिछोने पर अश्आ़र वग़ैरा कुछ तह़रीर हों उन का इस्ति'माल मन्अ़ है । (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 328)

﴿2﴾ **हर** ज़बान के हुरूफ़े तहज्जी का अदब करना चाहिये । (तफ़्सीली मा'लूमात के लिये फ़ैज़ाने सुन्नत के बाब ''फ़ैज़ाने बिस्मिल्लाह'' सफ़ह़ा 113 से सफ़ह़ा 123 तक मुत़ा-लआ़ फ़रमा लीजिये)

﴿3﴾ **मुसल्ले** के कोने में उ़मूमन कम्पनी के नाम की चिट सिलाई की हुई होती है उस को निकाल दिया करें ।

मुसल्ले पर का'बतुल्लाह शरीफ़ की तस्वीर

ऐसे मुसल्ले जिन पर का'बतुल्लाह शरीफ़ या गुम्बदे ख़ज़रा बना हुवा हो उन को नमाज़ में इस्ति'माल करने से मुक़द्दस शबीह पर पाउं या घुटना पड़ने का इम्कान रहता है लिहाज़ा नमाज़ में ऐसे मुसल्ले का इस्ति'माल करना मुनासिब नहीं । (फ़तावा अहले सुन्नत)

वस्वसों का एक सबब

ग़ुस्ल ख़ाने में पेशाब करने से वस्वसे पैदा होते हैं । ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि रसूले करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम عَلَیْہِ اَفْضَلُ الصَّلٰوۃِ وَالتَّسْلِیْم ने इस से मन्अ़ फ़रमाया

कि कोई शख़्स गुस्ल ख़ाने में पेशाब करे और फ़रमाया, "बेशक उ़मूमन इस से वस्वसे पैदा होते हैं।" (سُنَنِ ابوداؤد ج۱ص۴۴ حدیث۲۷)

तयम्मुम का बयान

तयम्मुम के फ़राइज़

तयम्मुम में तीन[3] फ़र्ज़ हैं ﴾1﴿ निय्यत ﴾2﴿ सारे मुंह पर हाथ फैरना ﴾3﴿ कोहनियों समेत दोनों[2] हाथों का मस्ह़ करना।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 353-355)

"तयम्मुम सीख लो" के दस हुरूफ़ की निस्बत से तयम्मुम की 10 सुन्नतें

﴾1﴿ बिस्मिल्लाह शरीफ़ कहना ﴾2﴿ हाथों को ज़मीन पर मारना ﴾3﴿ ज़मीन पर हाथ मार कर लौट देना (या'नी आगे बढ़ाना और पीछे लाना) ﴾4﴿ उंग्लियां खुली हुई रखना ﴾5﴿ हाथों को झाड़ लेना या'नी एक हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मारना मगर येह एह़तियात़ रहे कि ताली की आवाज़ पैदा न हो ﴾6﴿ पहले मुंह फिर हाथों का मस्ह़ करना ﴾7﴿ दोनों[2] का मस्ह़ पै दर पै होना ﴾8﴿ पहले सीधे फिर उल्टे हाथ का मस्ह़ करना ﴾9﴿ दाढ़ी का ख़िलाल करना ﴾10﴿ उंग्लियों का ख़िलाल करना जब कि ग़ुबार पहुंच गया हो। अगर ग़ुबार न पहुंचा हो म-सलन पथ्थर वग़ैरा किसी ऐसी चीज़ पर हाथ मारा जिस पर ग़ुबार न हो तो ख़िलाल फ़र्ज़ है ख़िलाल के लिये दोबारा ज़मीन पर हाथ मारना ज़रूरी नहीं। (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 356)

तयम्मुम का त़रीक़ा (ह़-नफ़ी)

तयम्मुम की निय्यत कीजिये (निय्यत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से भी कह लें तो बेहतर है। म-सलन यूं कहिये : बे वुज़ूई या बे ग़ुस्ली या दोनों से पाकी ह़ासिल करने और नमाज़ जाइज़ होने के लिये तयम्मुम करता हूं) बिस्मिल्लाह पढ़ कर दोनों हाथों की उंग्लियां कुशादा कर के किसी ऐसी पाक चीज़ पर जो ज़मीन की क़िस्म (म-सलन पथ्थर, चूना, ईंट, दीवार, मिट्टी वग़ैरा) से हो मार कर लौट लीजिये (या'नी आगे बढ़ाइये और पीछे लाइये) । और अगर ज़ियादा गर्द लग जाए तो झाड़ लीजिये और उस से सारे मुंह का इस त़रह़ मस्ह़ कीजिये कि कोई ह़िस्सा रह न जाए अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मुम न होगा। फिर दूसरी बार इसी त़रह़ हाथ ज़मीन पर मार कर दोनों[2] हाथों का नाख़ुनों से ले कर कोहनियों समेत मस्ह़ कीजिये, इस का बेहतर त़रीक़ा येह है कि उल्टे हाथ के अंगूठे के इ़लावा चार[4] उंग्लियों का पेट सीधे हाथ की पुश्त पर रखिये और उंग्लियों के सिरों से कोहनियों तक ले जाइये और फिर वहां से उल्टे ही हाथ की हथेली से सीधे हाथ के पेट को मस करते हुए गिट्टे तक लाइये और उल्टे अंगूठे के पेट से सीधे अंगूठे की पुश्त का मस्ह़ कीजिये। इसी त़रह़ सीधे हाथ से उल्टे हाथ का मस्ह़ कीजिये। और अगर एक दम पूरी हथेली और उंगलीयों से मस्ह़ कर लिया तब भी तयम्मुम हो गया चाहे कोहनी से उंग्लियों की त़रफ़ लाए या उंग्लियों से कोहनी की त़रफ़ ले गए मगर सुन्नत के ख़िलाफ़ हुवा। तयम्मुम में सर और पाउं का मस्ह़ नहीं है। (मुलख़्ख़स अज बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 353,354,356 वग़ैरा)

"मेरे आ'ला हज़रत की पच्चीसवीं शरीफ़"
के पच्चीस हुरूफ़ की निस्बत से
तयम्मुम के 25 म-दनी फूल

❁ **जो** चीज़ आग से जल कर राख होती है न पिघलती है न नर्म होती है वोह ज़मीन की जिन्स (या'नी क़िस्म) से है उस से तयम्मुम जाइज़ है। रैता, चूना, सुरमा, गन्धक, पथ्थर (मार्बल), ज़बर जद, फ़ीरोज़ा, अ़क़ीक़, वग़ैरा जवाहिर से तयम्मुम जाइज़ है चाहे इन पर ग़ुबार हो या न हो।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 357, البحرُ الرَّائق ج١ص٢٥٧)

❁ **पक्की** ईंट, चीनी या मिट्टी के बरतन से तयम्मुम जाइज़ है। हां अगर इन पर किसी ऐसी चीज़ का जिर्म (या'नी जिस्म या तह) हो जो जिन्से ज़मीन से नहीं म-सलन कांच का जिर्म हो तो तयम्मुम जाइज़ नहीं। (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 358) उ़मूमन चीनी के बरतन पर कांच की तह चढ़ी होती है इस से तयम्मुम नहीं हो सकता।

❁ **जिस** मिट्टी, पथ्थर वग़ैरा से तयम्मुम किया जाए उस का पाक होना ज़रूरी है या'नी न उस पर किसी नजासत का असर हो न येह हो कि सिर्फ़ ख़ुश्क होने से नजासत का असर जाता रहा हो। (ऐज़न स. 357) ज़मीन, दीवार और वोह गर्द जो ज़मीन पर पड़ती रहती है अगर नापाक हो जाए फिर धूप या हवा से सूख जाए और नजासत का असर ख़त्म हो जाए तो पाक है और उस पर नमाज़ जाइज़ है मगर उस से तयम्मुम नहीं हो सकता।

❁ **येह** वहम कि कभी नजिस हुई होगी फ़ुज़ूल है इस का ए'तिबार नहीं।

(ऐज़न स. 357)

❁ **अगर** किसी लकड़ी, कपड़े, या दरी वग़ैरा पर इतनी गर्द है कि हाथ मारने से उंग्लियों का निशान बन जाए तो उस से तयम्मुम जाइज़ है।

(ऐज़न स. 359)

❁ **चूना**, मिट्टी या ईंटों की दीवार ख़्वाह घर की हो या मस्जिद की इस से तयम्मुम जाइज़ है। मगर उस पर ऑइल पेइन्ट, प्लास्टिक पेइन्ट और मैट फ़िनिश या वॉल पेपर वग़ैरा कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिये जो जिन्से ज़मीन के इलावा हो, दीवार पर मार्बल हो तो कोई ह़रज नहीं।

❁ **जिस** का वुज़ू न हो या नहाने की ह़ाजत हो और पानी पर क़ुदरत न हो वोह वुज़ू और ग़ुस्ल की जगह तयम्मुम करे।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 346)

❁ **ऐसी** बीमारी कि वुज़ू या ग़ुस्ल से इस के बढ़ जाने या देर में अच्छा होने का सह़ीह़ अन्देशा हो या ख़ुद अपना तजरिबा हो कि जब भी वुज़ू या ग़ुस्ल किया बीमारी बढ़ गई या यूं कि कोई मुसल्मान अच्छा क़ाबिल त़बीब जो ज़ाहिरी त़ौर पर फ़ासिक़ न हो वोह कह दे कि पानी नुक़्सान करेगा। तो इन सूरतों में तयम्मुम कर सकते हैं।

(ऐज़न, دُرِّمُختار ورَدُّالْمُحتار ج١ص٤٤١،٤٤٢)

❁ **अगर** सर से नहाने में पानी नुक़्सान करता हो तो गले से नहाएं और पूरे सर का मस्ह़ करें। (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 347)

❁ **जहां** चारों त़रफ़ एक एक मील तक पानी का पता न हो वहां भी तयम्मुम कर सकते हैं। (ऐज़न)

❁ **अगर** इतना आबे ज़मज़म शरीफ़ पास है जो वुज़ू के लिये काफ़ी है तो तयम्मुम जाइज़ नहीं। (ऐज़न)

❁ **इतनी** सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार हो जाने का क़वी अन्देशा है और नहाने के बा'द सर्दी से बचने का कोई सामान भी न हो तो तयम्मुम जाइज़ है। (ऐज़न स. 348)

❁ **क़ैदी** को क़ैदख़ाने वाले वुज़ू न करने दें तो तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ले बा'द में इआ़दा करे और अगर वोह दुश्मन या क़ैदख़ाने वाले नमाज़ भी न पढ़ने दें तो इशारे से पढ़े और बा'द में इआ़दा करे।

(ऐज़न स. 349)

❁ **अगर** येह गुमान है कि पानी तलाश करने में क़ाफ़िला नज़रों से ग़ाइब हो जाएगा तो तयम्मुम जाइज़ है। (ऐज़न स. 350)

❁ **मस्जिद** में सो रहा था कि ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो जहां था वहीं फ़ौरन तयम्मुम कर ले येही अह़वत़ (या'नी एह़तियात़ के ज़ियादा क़रीब) है। (माख़ूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 3, स. 479) फिर बाहर निकल आए ताख़ीर करना ह़राम है। (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 352)

❁ **वक़्त** इतना तंग हो गया कि वुज़ू या ग़ुस्ल करेगा तो नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी तो तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ले फिर वुज़ू या ग़ुस्ल कर के नमाज़ का इआ़दा करना लाज़िम है। (माख़ूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 3, स. 307)

❁ **औ़रत** ह़ैज़ व निफ़ास से पाक हो गई और पानी पर क़ादिर नहीं तो तयम्मुम करे। (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 352)

❁ **अगर** कोई ऐसी जगह है जहां न पानी मिलता है न ही तयम्मुम के लिये पाक मिट्टी तो उसे चाहिये कि वक़्ते नमाज़ में नमाज़ की सी सूरत बनाए या'नी तमाम ह़-रकाते नमाज़ बिला निय्यते नमाज़ बजा लाए। (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 353) मगर पाक पानी या मिट्टी पर क़ादिर होने पर वुज़ू या तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़नी होगी।

❁ वुज़ू और ग़ुस्ल दोनों के तयम्मुम का एक ही त़रीक़ा है। (جوهره ص۲۸)

❁ जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ है उस के लिये येह ज़रूरी नहीं कि वुज़ू और ग़ुस्ल दोनों[2] के लिये दो[2] तयम्मुम करे बल्कि एक ही में दोनों[2] की निय्यत कर ले दोनों[2] हो जाएंगे और अगर सिर्फ़ ग़ुस्ल या वुज़ू की निय्यत की जब भी काफ़ी है। (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 354)

❁ जिन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है या ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है उन से तयम्मुम भी टूट जाता है और पानी पर क़ादिर होने से भी तयम्मुम टूट जाता है। (ऐज़न स. 360)

❁ औ़रत ने अगर नाक में फूल वग़ैरा पहने हों तो निकाल ले वरना फूल की जगह मस्ह़ नहीं हो सकेगा। (ऐज़न स. 355)

❁ **होंटों** का वोह ह़िस्सा जो आ़दतन मुंह बन्द होने की ह़ालत में दिखाई देता है इस पर मस्ह़ होना ज़रूरी है अगर मुंह पर हाथ फैरते वक़्त किसी ने होंटों को ज़ोर से दबा लिया कि कुछ ह़िस्सा मस्ह़ होने से रह गया तो तयम्मुम नहीं होगा। इसी त़रह़ ज़ोर से आंखें बन्द कर लीं जब भी न होगा। (ऐज़न)

❁ **अंगूठी**, घड़ी वग़ैरा पहने हों तो उतार कर इन के नीचे हाथ फैरना फ़र्ज़ है। इस्लामी बहनें भी चूड़ियां वग़ैरा हटा कर उन के नीचे मस्ह़ करें। तयम्मुम की एह़तियातें वुज़ू से बढ़ कर हैं। (ऐज़न)

❁ **बीमार** या बे दस्त व पा ख़ुद तयम्मुम नहीं कर सकता तो कोई दूसरा करवा दे इस में तयम्मुम करवाने वाले की निय्यत का ए'तिबार नहीं, जिस को तयम्मुम करवाया जा रहा है उस को निय्यत करनी होगी।

(عالمگیری ج ۱ ص ۲۶, ऐज़न स. 354)

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم : जो मुझ पर रोज़े जुमुआ़ दुरूद शरीफ़ पढ़ेगा मैं क़ियामत के दिन उस की शफ़ाअ़त करूंगा । (کنزالعمال)

म-दनी मश्वरा : वुज़ू के अह़काम सीखने के लिये **मक-त-बतुल मदीना** का मत्बूआ **"वुज़ू का त़रीक़ा"** और नमाज़ सीखने के लिये रिसाला **"नमाज़ का त़रीक़ा"** का मुत़ा-लआ़ मुफ़ीद है ।

या रब्बे मुस्त़फ़ा ! हमें बार बार गुस्ल के मसाइल पढ़ने, समझने और दूसरों को समझाने और सुन्नत के मुत़ाबिक़ गुस्ल करने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमा । اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلم

त़ालिबे ग़मे मदीना व
बक़ीअ़ व मग़्फ़िरत व
बे ह़िसाब जन्नतुल फ़िरदौस
में आक़ा का पड़ोस

4 रबीउल गौस सि.1432 हि.

येह रिसाला पढ़ कर दूसरे को दे दीजिये

शादी ग़मी की तक़रीबात, इज्तिमाआ़त, आ'रास और जुलूसे मीलाद वग़ैरा में **मक-त-बतुल मदीना** के शाएअ़ कर्दा रसाइल और म-दनी फूलों पर मुश्तमिल पेम्फ़लेट तक़्सीम कर के सवाब कमाइये, गाहकों को ब निय्यते सवाब तोह़फ़े में देने के लिये अपनी दुकानों पर भी रसाइल रखने का मा'मूल बनाइये, अख़्बार फ़रोशों या बच्चों के ज़रीए अपने मह़ल्ले के घर घर में माहाना कम अज़ कम एक अ़दद सुन्नतों भरा रिसाला या म-दनी फूलों का पेम्फ़लेट पहुंचा कर नेकी की दा'वत की धूमें मचाइये और खूब सवाब कमाइये ।

ماخذ و مراجع

کتاب	مطبوعہ	کتاب	مطبوعہ
سنن ابوداود	داراحیاء التراث العربی بیروت	فتاوی عالمگیری	دارالفکر بیروت
مسند ابویعلی	دارالکتب العلمیۃ بیروت	درمختار وردالمحتار	دارالمعرفۃ بیروت
جوہرہ	باب المدینہ کراچی	فتاوی رضویہ	رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء لاہور
حاشیۃ الطحطاوی	باب المدینہ کراچی	بہارشریعت	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی
البحرالرائق	کوئٹہ	کیمیائے سعادت	انتشارات گنجینہ تہران